

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02928/2020-2021

दिनांक 18/01/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/FIR/14724/2020-2021

पत्रावली संख्या: AG-52838 दिनांक: 2010-2011

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जन कल्याण कारी शिक्षा समिति, मौ०- ओमनगर, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, 205135 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1538/2010-11 दिनांक-13/12/2010 को दिनांक-13/12/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)

8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4

Date: 18/01/2021 12:07:55 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-18/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

- 1- संस्था का नाम - जनकल्याणकारी शिक्षा समिति,
- 2- संस्था का पता - मो० ओमनगर मैन्सुरी रोड शिक्राहबाद, फिरोजाबाद ।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
- 4- संस्था के उद्देश्य - संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे -

1. समिति के उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटर कालेज आवश्यकता होने पर डिग्री कालेज, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान तथा तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों आदि की निःशुल्क स्थापना करना और उनका विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वामलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
2. समिति का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हें छात्रवृत्तियाँ दिलाना व उनकी सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, कीड़ा केन्द्रों की स्थापना करना ।
3. असहाय बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना ।
4. केन्द्रीय स्तर पर निगम बोर्ड, संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु कुलम प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, देरी कालीन, ड्राइंग पेंटिंग, मृत्तुला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग, फैशन डिजाइनिंग एवं व्यूटिशियन आदि को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।
5. महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं मलिन वस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ।
6. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एडरा से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रगावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना और उनका राज्य, केन्द्र सरकार और विदेशी एजेंसियों से पूर्ण सहायता लेना एवं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार के लिये अखबार, पत्रिका, मीडिया, इंटरनेट इत्यादि एवं शासन-प्रशासन की सहायता लेना ।
7. पेयजल समस्या को दूर करने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जगह जगह हैंडपंप लगवाना, पानी की टंकी का निर्माण कराना एवं उसकी सफाई पाइप लाइन की व्यवस्था एवं खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर फिल्टर पम्पों की व्यवस्था करना ।
8. नागरिकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनकी उन्हें जानकारी देना ।
9. नैत्रदान शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरांत करना ।
10. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, इंडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्पा, नवार्ड, अवारड, नौराड, झूडा, सूडा, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्पाहार, महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, बाल विकास पुष्पाहार, महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

सत्य प्रतिनिधिमाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

11. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक वधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना और समय-समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के लिये पानी की व्यवस्था करना ।
12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुँचाना ।
13. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ~~समुच्चय~~ उद्योगों की स्थापना कर श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना प्राप्त आय को संस्था हितार्थ व्यय करना ।
14. सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, निगमों, सरकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेना ।
15. संस्था का कार्यक्षेत्र ~~कृषि, पशुपालन, प्रदूषण नियंत्रण~~ जनसंख्या नियन्त्रण केंद्रों, नशाबन्दी कार्यक्रमों, आदि का संचालन करना ।
16. संस्था का उद्देश्य कृषकों को बढ़ावा देना तथा मशरूम की खेती करना, देशी खाद्य, कम्पोज खाद्य, बीज एवं कीटनाशक, औषधियों का निर्माण करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा का ध्यान में रखते हुए ~~कृषि उन्नति को बढ़ावा देना~~ कृषि उन्नति को बढ़ावा देना । किसानों में भाईचारे की भावना पैदा करना एवं समस्याओं की सुलझाना व शासन, प्रशासन, तक पहुँचाना । मानवीय स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियों ~~उद्योगों~~ का निर्माण करना ।
17. संस्था का उद्देश्य पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य, संरक्षण संबर्द्धन करना व उनके लिये पशु चिकित्सालय, पशुशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।
18. प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवंश रक्षा संबर्द्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा आयोजित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना ।
19. संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चलचित्र बनाना, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, पहल शिविरों, जन-जागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालाश्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, गरीब उन्मूलन, मद्यनिषेध एवं नशा उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना तथा सरकार का सहयोग करना ।
20. समाज की निर्धन कन्याओं की शादी कराना व उनका सहयोग करना, दहेज हित सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं परित्याक्ताओं व विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रेरित करना तथा युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन करना एवं कराना ।
21. यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्य कर्मों उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।

उप निवेदन
सोसायटी नं पुन विदुष
धामरा कां थ, नागरी

22/12-2010

मायादेवी

(3)

प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पिता का नाम, पता, पद, व्यवसाय दिये गये हैं जिनमें कि संस्था के समानुसार कार्यभार सौंपा गया है

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री मुख्तार सिंह	श्री सुख्मातीलाल	नं० अर्जाता भोरेपुर पो. पैरा र गाहपुर जिला मैन्पुरी	अध्यक्ष	सं० नि०
2	श्री राजीव कुमार	श्री मुख्तार सिंह	"	उपाध्यक्ष व्यापार	"
3	श्री वीरेन्द्र सिंह	श्री बाबुराम	मौ० ओमकंठर मैन्पुरी रोड डिहौ० जिला फिरोजाबाद	प्रबन्धक/ व्यापार सचिव	"
4	श्री राकेश कुमार	श्री महाराज सिंह	नं० अर्जाता भोरेपुर पो. पैरा र गाहपुर जिला मैन्पुरी	उपप्रबन्धक/ व्यापार सचिव	"
5	श्री महाराज सिंह	श्री सुख्मातीलाल	"	कोषाध्यक्ष सं० नि०	"
6	श्रीमती माया देवी	श्री मुख्तार सिंह	"	सदस्य	ग्रहकार्य
7	श्रीमती फलदेवी	श्री महाराज सिंह	"	सदस्य	ग्रहकार्य
8	श्रीमती गीता	श्री राजीव कुमार	"	सदस्य	ग्रहकार्य
9	श्रीमती गीता	श्री राकेश कुमार	"	सदस्य	ग्रहकार्य
10	श्री बलराम सिंह	श्री गम्भीर सिंह	"	सदस्य	कृषि
11	श्री प्रमोद कुमार	श्री गम्भीर सिंह	"	सदस्य	कृषि



हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह घोषित करते हैं कि हम निम्न स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसा० रजि० एक्ट

1860 के अन्तर्गत इस समिति का गठन किया गया है ।

दिनांक - 01-12-10

वीरेन्द्र सिंह

(सचिव)

महाराज सिंह

राकेश कुमार
गीता

माया देवी प्रमोद


GIETA

सत्य प्रतिनिधि

मुख्तार सिंह

बलराम

01-12-2010



नियमावली

1. संस्था का नाम - जनकल्याणकारी शिक्षा समिति,
2. संस्था का पता - मै 0 ओमनगर मैन्सुरी रोड शिमोहाबाद, फिरोजाबाद ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य - संस्था उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :-

1. संरक्षक सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
2. आजीवन सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।
3. साधारण सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 250/- रूपया सदस्यता शुल्क व घंटा के रूप में देगा वह सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।
4. विशिष्ट सदस्य :- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं प्रतिष्ठित होंगे व जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगा और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया धन, घंटा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

1. सदस्य की मृत्यु होने पर पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3. किसी न्यायालय द्वारा अदालत कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
6. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :-

8. साधारण सभा :-

(अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

अ. गठन :- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

ब. बैठकें :- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों की सूचना देकर बुलायी जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :- साधारण सभा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी ।

वीरेंद्र सिंह

गणेशजी

संस्था प्रतिक्रिया

सुखरंजन सिंह

शक्तिश कुमार

संस्था प्रतिक्रिया

संस्था प्रतिक्रिया

संस्था प्रतिक्रिया

२. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था की प्रबन्ध समिति का समय-समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना।
2. नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कराना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से 2/3 बहुमत से 11 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष शेष सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति में सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है जो कि कम से कम 7 व अधिकतम 15 होगी।

ब. बैठकें :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में 2 बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

२. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।
2. नियमों-विनियमों में संशोधन-परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबल कार्यों में व्यय करना।
5. संस्था के विकास हेतु उप इकाइयों एवं उप समितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना।

ल- कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना।

2. उपाध्यक्ष -

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना।
2. सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।

जीरे-उसिंह

म.स. 11/11/2019 म.स. 11/11/2019

म.स. 11/11/2019 म.स. 11/11/2019

3. प्रबन्धक/सचिव

4. उपप्रबन्धक/सचिव

5. कोषाध्यक्ष

11. संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :-

13. संस्था का लेखा परिक्षण :-

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-

15. संस्था के अमिलेख :-

16. संस्था का विघटन :-

दिनांक :- 01-12-10

सत्यप्रतिलिपि

✓ जीरे-टु रिमंड

२
शिल्पा कुमार

Q. मुख्तार सिंह

22.12.2015

LUCKY PUBLIC SCHOOL

An English Medium Co-educational School
Mainpuri Road, Shikohabad, Firozabad(U.P.)

Name and Addresses of the members of the Society "Jan Kalvan Kari Siksha Samithi"

S.No.	Name	Father/Husband Name	Address	Designation	Occupation
1.	MR. MUKHTAR SINGH	MR. SUKHWASI LAL	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	President	EX-GOVT. EMPLOYEE
2.	MR. RAJEEV KUMAR	MR. MUKHTAR SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Vice-president	BUSINESS
3.	MR. VIRENDRA SINGH	MR. BABU RAM	OMNAGAR, MAINPURI ROAD, SHIKOHABAD, FIROZABAD	Manager	BUSINESS
4.	MR. RAKESH KUMAR	MR. MAHARAJ SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Vice-Manager	
5.	MR. MAHARAJ SINGH	MR. SUKHWASI LAL	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Treasurer	EX- GOVT. EMPLOYEE
6.	MRS. MAYADEVI	MR. MUKHTAR SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	HOME MAKER
7.	MRS. PHOOLAN DEVI	MR. MAHARAJ SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	HOME MAKER
8.	MRS. GEETA	MR. RAJEEV KUMAR	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	HOME MAKER
9.	MRS. GEETA	MR. RAKESH KUMAR	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	HOME MAKER
10.	MR. BALRAM SINGH	MR. GAMBHEER SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	AGRICULTURE
11.	MR. PRAMOD KUMAR	MR. GAMBHEER SINGH	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	Member	AGRICULTURE


Virendra Singh
Manager